

Title: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs made a statement regarding Government Business during the week commencing the 2nd May, 2016 and submissions made by the Members.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam Speaker, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 2nd of May, 2016 with consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper.
2. Discussion and voting on Demands for Grants (General) for 2016-17 under the control of the Ministry of Civil Aviation and Tourism;
3. Discussion and voting on Demands for Grants (General) for 2016-17 under the control of the Ministry of Housing and Poverty Alleviation;
4. Guillotine of outstanding Demands (General) for Grants (General) for 2016-17 at 6.00 p.m.;
5. Introduction, consideration and passing of the Appropriation (No. 2) Bill, 2016.
6. Consideration and passing of the Finance Bill, 2016;
7. Consideration and passing of Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015; and
8. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha to the following Bill, as passed by Lok Sabha:-
 - (i) the Appropriation Acts (Repeal) Bill, 2015; and
 - (ii) the Repealing and Amending (Third) Bill, 2015.

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुशेष करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :-

- 1) जमशेदपुर में मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत राखा, चापड़ी, केन्दाडीह माईंस हैं। ये तीनों माईंस वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण चालू नहीं हो पा रही हैं। यह क्षेत्र आदिवासी, अतिपछड़ा, जनजातीय बहुल एवं उग्रवाद प्रभावित है। यहाँ के लोग सुखाड़, बेरोज़गारी, गरीबी के कारण पलायन को मजबूर हैं। इसी तरह ऐसी कई और माईंस हैं जैसे किसनगढ़िया, पाथरगोड, चंदपुर इत्यादि, जिसके तांबू की नीलामी नहीं होने के कारण बंद है। ये सभी माईंस के चालू होने से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा तथा साथ ही साथ राज्य सरकार को राज्य की प्राप्ति होगी।
- 2) चांडिल-पटमदा वाया बन्दोवान से झाड़ग्राम (पश्चिम बंगाल) तक नई रेल लाइन के सर्वे का काम अविलंब पूरा किया जाए। झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत वाकुलिया प्रखंड के बुढ़मारा से बहरगोड़ा होते हुए बानगिपोसी (ओडिशा) तक नई रेल लाईन का निर्माण किया जाए एवं कांडा नामकुम रेलवे लाईन का काम अविलम्ब शुरू किया जाए। बडागोविन्दपुर से छोटा गोविन्दपुर के बीच तथा आसनबनी स्टेशन के केबिन के पास एक आर.ओ.बी. रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण अविलम्ब किया जाए तथा जुमसलाई ओवरब्रिज का काम अविलम्ब पूरा किया जाए।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले हफ्ते की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :

- 1) मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत प्राचीन ऐतिहासिक काला और भाजा गुफा तथा लोहगढ़, तिकोना, राजमांटी और बिसापुर किलों के रखरखाव हेतु पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से विशेष आर्थिक पैकेज, और
- 2) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का काम होता है। लेकिन महाराष्ट्र में समय पर ठेकेदारों को पैसा नहीं मिलने के कारण यह काम बीच में ही बंद किया गया और आज इन सड़कों की हालत खराब है। इसके लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अधूरे पड़े काम को पूरा करने के लिए पुनः धनराशि उपलब्ध करने संबंधी विषय को शामिल किया जाए।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए।

- 1) देश के करीब 80 प्रतिशत लोग विटामिन डी एवं बी-12 की कमी के कारण होने वाले विभिन्न रोगों जैसे किडनी, दिल, डायबिटीज़, एनीमिया एवं अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं जो कि बहुत ही घातक है। अतः इस बीमारी के बारे में आम लोगों को जागरूक करने, जाँच एवं इलाज हेतु सख्त नियम बनाए जाएँ।
- 2) भारत सरकार देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्छी एवं सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करती है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में अभी तक केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोला गया है। अतः सुपौल में अविलम्ब केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए।

- 1) रोहतासगढ़ किला भारतवर्ष में प्राचीन एवं विशाल पहाड़ी दुर्गों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रोहतासगढ़ किला गया-मुगतसराय रेल खंड एवं शेरशाह सूरी पथ डेढ़री ऑन-सोन से 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में विंध्य पर्वत पर स्थित है। रोहतास मुख्यालय से 55 किलोमीटर इसकी दूरी है। यह समुद्र तल से 1800 फीट की ऊँचाई पर कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। लगभग 28 मील की परिधि में फैले इस किले में सरयमहल, रंगमहल, शीशमहल, पंचमहल, फूलमहल, आईनामहल, रानी का झरोखा, मान सिंह की कचहरी, सिंहासन कक्ष, हथिया पोल, विवाह-मंडप चौसजन, रोहिताश्व, गणेश मंदिर, फांसी घर आदि आज भी दर्शनार्थ विद्यमान हैं। इसमें लगभग 950 बड़े कमरे तथा 9000 छोटे कमरे हैं। इसकी बनावट पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से की गई है, जिससे सभी कमरों में सूर्य की किरणें सहजता से गमन कर सकें। संप्रति यह आदिवासियों का तीर्थ स्थल भी है जहाँ प्रत्येक वर्ष देश भर के आदिवासी समाज का बृहत् मेला लगता है। अतः रोहतासगढ़ किला को राष्ट्रीय महत्व का पर्यटक स्थल घोषित कर विकसित किया जाए।

2) बिहार के कैमूर जिलांतर्गत सुअर नदी में सुअर दायां-बायां बांध के निर्माण हेतु प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार के पास लंबित है, इस बांध के निर्माण से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र केन्द्रीय जल आयोग से स्थिति की समीक्षा कर निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए। इसके निर्माण से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई सुनिश्चित है।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल करने का कट करे:

1. लोग अपने भिन्न-भिन्न पसंदों में जो खाना बनाते हैं, उसमें से तीस प्रतिशत तक खाने की बर्बादी करते हैं। आज देश में नौ राज्य, 33 करोड़ जनता भुखमरी के कगार पर है, फिर भी इस तरह किसी का ध्यान नहीं है। इसके प्रति केवल फ्रांस में ही कानून बना है। ऐसा कानून भारत में भी बनना चाहिए।
2. महान विभूतियों की प्रतिमाओं (राष्ट्रीय नेता, साहित्यकार, क्रांतिकारी, वैज्ञानिक आदि) के उचित सम्मान और रख-रखाव के लिए नीति बनाई जाये। धन्यवाद।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग करता हूँ:

1. पठानकोट हमले के पश्चात पाकिस्तानी जांच दल की जांच के बाद उत्पन्न स्थिति और पाकिस्तान के साथ विदेश नीति पर भारत सरकार की असफलता के प्रति चर्चा करने की मांग के सम्बन्ध में।
2. बंजारा समाज के गुरु सन्त सेवालाल महाराज की जयन्ती दिनांक 15 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाये।

श्री ओम बिरला (कोटा) : महोदया, मैं निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ:

1. देश के न्यायालयों में बढ़ी संख्या में लम्बित मुकदमों को निपटाने के लिए आवश्यक कार्य- योजना बनाए जाने की आवश्यकता।
2. देश के विभिन्न धार्मिक आयोजनों एवं मेलों में भगदड़ एवं अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए विशेष सुरक्षा बल/कार्यबल गठित किए जाने की आवश्यकता।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : महोदया, मैं आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूँ:

1. माननीय प्रधानमंत्री जी की जन-धन योजना के तहत करीब 22 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं एवं खातों में वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन, नरेगा का भुगतान एवं अन्य डायरेक्ट बेंनीफिट ट्रांसफर होंगे। बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कम हैं। अतः लोगों की सुविधाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बैंक शाखाएं खोलने पर विचार करने हेतु निवेदन है।
2. नागौरी नरल की गांवें दूध की बजाय अपने मजबूत बछड़ों के लिए जानी जाती हैं। यही बछड़े बैल बनकर खेती के कार्य एवं बोझा ढोने हेतु बैलगाड़ियों में काम आते हैं। इनके तीन वर्ष तक रजस्थान राज्य के बाहर ले जाने पर शोक होने से गांवों पर किसान ध्यान नहीं दे रहे हैं एवं नागौरी नरल की गांवों की ओर ध्यान नहीं देने से दिन-प्रतिदिन संख्या कम होती जा रही है, जो विचारणीय है। अतः उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार हेतु अनुरोध है।

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) : महोदया, मैं निम्न विषय पर लोक सभा में आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ:

1. घटते हुए जंगलों को ध्यान में रखते हुए वन क्षेत्र में विस्तार हेतु वन समितियों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के समूह बनाकर वन क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व्यक्ति को, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, उनके परिवार में सभी के पास फूड कूपन नहीं हैं। इनके फूड कूपन बनाने हेतु एक अभियान जारी करना चाहिए, साथ ही इस हेतु एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदया, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल कर लिया जाए।

दलित मुक्ति का मौलिक स्रोत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का दर्शन रहा है। 29 अक्टूबर, 1942 को डॉ. अम्बेडकर ने भारत के गवर्नर जनरल को दलित अधिकार पर एक लंबा ज्ञापन सौंपा था और उसमें यह दर्शाया था कि किस तरह सी.पी.डब्ल्यू.डी. के कुल 1,171 ठेकेदारों में सिर्फ एक दलित ठेकेदार था। इस तरह की परम्परा आज भी कायम है। चाहे बेसिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो या मेडिकल शिक्षा, सभी जगहों पर आम दलित, वंचितों का हक मारा जा रहा है, जो कि संविधान की मूल धारण का अपमान है। अतः देशभर में सभी जगहों पर चाहे वह ठेकेदारी हो या ऐसे सभी क्षेत्रों में दलित वंचित या समाज के अन्य कमजोर तबकों को आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं इस व्यवस्था को ईमानदारीपूर्वक लागू करने हेतु सख्त नियम बनाया जाए।

देश भर में निजी शिक्षण-संस्थानों द्वारा शिक्षा का लगातार किया जा रहा व्यवसायीकरण जिसमें आम गरीब मेधावी छात्रों से लगातार वसूले जा रहे डोनेशन, डेवलपमेंट एवं पुनः नामांकन के नाम पर वसूले जा रहे पैसे को तत्काल बंद करते हुए देश भर में सभी निजी शिक्षण-संस्थानों, कोविंग-संस्थानों को बंद कर सरकारी शिक्षण-संस्थानों की स्थिति को मजबूत कर कोठारी आयोग एवं मुचकुंद दुबे समिति की सिफारिशें जो समान एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु थीं, को अविलम्ब लागू करने हेतु सख्त नियम बनाया जाए।